संख्याः- XVII-B-1/2021-09(02)/2021

प्रेषक

 एल. फैनई

 प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेषक

अल्पसंख्यक कल्याण

उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादून: दिनांक: सितम्बर २०२१

विषय-केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (90:10) योजनान्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विकासखण्ड बाजपुर में स्वीकृत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केला बनवारी में अतिरिक्त 03 कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु प्रथम किष्त की धनराषि पुनः अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

 उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-275/नि.अ.क.(1381)/रा0उ0प्रा0वि0/2020-21, दिनांक 24.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा ’प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ योजनान्तर्गत (90:10) जनपद उधमसिंहनगर के विकासखण्ड बाजपुर में स्वीकृत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केला बनवारी में अतिरिक्त 03 कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु षासनादेष संख्या-395/XVII-B-1/2021-09(02)/2021, दिनांक 09.03.2021 के द्वारा धनराषि ₹ 21.03 लाख की प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किष्त के रूप में अवमुक्त की गयी कुल धनराषि ₹ 10.515 लाख का भुगतान कोशागार स्तर पर तकनीकी कारण से कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर इकाई को नहीं हो पाया है। अतएव विशयगत निर्माण कार्य हेतु प्रथम किष्त के रूप में उक्तानुसार अवमुक्त धनराषि को पुनः अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में तत्संबंधी मुख्य कोशाधिकारी, देहरादून द्वारा निर्गत अनाहरण प्रमाण पत्र दिनांक 05.05.2021 भी संलग्न किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के षासनादेष संख्या-292/9(150)-2019/XXVII(1)2020, दिनांक 31.03.2020 एवं षासनादेष संख्या-293/XXVII(7)36/2010.11, दिनांक 09.10.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/60/2020-MsDP-MOMA, दिनांक 30.09.2020 के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (90ः10) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्श 2021-22 में प्रष्नगत निर्माण कार्य हेतु गठित आगणन के विभागीय तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराषि ₹ 21.03 लाख (सिविल कार्य हेतु ₹ 20.90 एवं अधिप्राप्ति हेतु ₹ 0.13 लाख) की प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष निर्धारित केन्द्रांष ₹ 17.25 लाख में से प्रथम किष्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांष की 50 प्रतिषत धनराषि ₹ 8.63 लाख एवं निर्धारित राज्यांष ₹ 1.92 लाख की 50 प्रतिषत धनराषि ₹ 0.96 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से वहन की जाने वाली धनराषि ₹ 1.86 लाख की 50 प्रतिषत धनराषि ₹ 0.93 लाख अर्थात कुल धनराषि ₹ 10.515 लाख (₹ दस लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र) को निम्नलिखित षर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.09.2020 में दिये गये दिषा-निर्देषों का अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा।

क्रमषः............

-2-

2. उक्त धनराषि को कोशागार से आहरण कर एवं अन्य समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर अधिकतम 15 दिन में कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित किया जायेगा।

3. उक्त कार्य को सम्पादित कराते समय भारत सरकार द्वारा निर्गत च्डश्रटज्ञ की गाईडलाइन का पूर्णतः अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा।

4. उपरोक्त कार्य को उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराषि से ही वांछित गुणवत्ता एवं समयबद्धता पूर्वक सम्पूर्ण कराया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा।

5. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के षासनादेष संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. अवष्य हस्ताक्षरित करा लिया जाए। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर संबंधित विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिष्चित किया जायेगा।

6. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिष्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या षासन को भी प्रेशित किया जाना सुनिष्चित किया जायेगा।

7. उक्त आवंटित धनराषि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत षासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवष्यक हो, तो ऐसे व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृश्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विषिश्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जायेगा।

9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगषाला से अवष्य करा लिया जाये तथा विषिश्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

10. उक्त धनराषि का व्यय मितव्ययता को दृश्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराषि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

11. कार्य में मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराषि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराषि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

12. आगणन में उल्लिखित दरों का विष्लेशण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें षिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से की गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवष्यक होगा।

13. विस्तृत आगणन में प्रावधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी हांेगे।

14. किसी भी षासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंषोधित), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, षासनादेषों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा।

15. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन के षासनादेष संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेषों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

 क्रमषः............

-3-

3- इस सम्बन्ध में केन्द्रांष के सापेक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्श 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के लेखाषीर्शक ’’4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-277-षिक्षा-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0101-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (90ः10ः के0स0) के मानक मद ’56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)’’ के नामे डाला जायेगा तथा राज्यांष के सापेक्ष होने वाला व्यय अनुदान संख्या-15 के लेखाषीर्शक ’’4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-277-षिक्षा-95-केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंष-9501- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (10ः) के मानक मद ’56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)’’ के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेष षासनादेष संख्या-130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विषिश्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई.डी. संख्या-S21090150043, S21090150044 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त षासनादेष दिनांक 31.03.2021 एवं षासनादेष दिनांक 09.10.2020 के द्वारा प्राप्त निर्देषों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि। भवदीय,

 ( एल.फैनई )

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: (1)/XVII-B-1/2020 तद्दिनांक।

 प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

1. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।

3. सचिव, विद्यालयी षिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड षासन।

4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

5. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।

6. महानिदेषक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7. निदेषक, कोशागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।

8. वरिश्ठ कोशाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।

9. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, इन्दिरा नगर, देहरादून।

10. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, रूद्रपुर इकाई, जनपद उधमसिंहनगर।

11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उधमसिंहनगर।

12. निदेषक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

13. बजट,राजकोशीय नियोजन एवं संसाधन निदेषालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

14. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड षासन।

15. गार्ड फाइल।

 आज्ञा से,

 ( एल.फैनई )

 प्रमुख सचिव।